न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 38 / 2020

निर्णय दिनांकः– 17.03.2021

उनवान

रामरतन पुत्र झीता जाति मीना निवासी पाडली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रार्थी

बनाम

1घनश्याम पुत्र कल्याण जाति नायक निवासी पाडली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2.बाबू पुत्र कलयाण जाति नायक निवासी पाडली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
3.पीरू पुत्र घनश्याम जाति नायक निवासी पाडली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
4.दिनेश पुत्र बाबू जाति नायक निवासी पाडली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
5. तहसीलदार ,तहसील उनियारा जिला टोंक
6.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर,टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत उद्घोषणा,दु0इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–1.श्री मो0 लईक खान, वकील प्रार्थी

2.श्री पी0सी0जैन, वकील प्रतिपक्षी नं.1व 2

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 0.17 है0 व खसरा नम्बर 1503 / 137 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पाडली तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात के साबिका ख0न0 139 रकबा 52 बीघा 4 बिस्वा थे। उक्त वर्णित भूमि साबिका रूप से अजीनूज्जमानी बेगम साहिबा जागीरदार मौजा चोरू, पचाला चरगना की भूमि थी। जिसके सेटलमेन्ट के बाद ख0न0 136 रकबा 0.17 व ख0न0 137 रकबा 6.41 है0 बनाये है। उक्त वर्णित आराजी साबिका रूप से झीता मीना वल्द कालू मीना के कब्जे काश्त एवं मालिकाना हक मे चली आ रही है और उक्त आराजी को झीता ने काफी रूपया खर्च कर काबिल काश्त बनाया था। उक्त वर्णित आराजीयात तत्कालीन खातेदार अजीनुज्जमानी बेगम ने प्रार्थी के पिता झीता जी को 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि दिनांक 22 जनवरी 1947 को प्रार्थी के पिता को उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर दी थी और तहरीर किया था कि सरकारी लगान अदा करते रहेगे तथा उक्त बख्शीशनामा बतौर पट्टा जीता मीणा को दे दिया है और उक्त आराजी उसके नाम दर्ज कर दी जावे। उक्त वर्णित आराजी को प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज नही किया गया एवं खसरा नम्बर 147 को चरागाह तथा ख0न0 136 को बारानी तृतीय मे दर्ज कर दिया। उक्त वर्णित आराजी ख0न0 136 पर प्रार्थी का कदीमी

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned with CamScanner

रूप से मकान व बाडा बना हुआ है तथा वर्तमान ख0न0 1503/137 रकबा 0.099 है0 पर प्रार्थी अपने मवेशी बांधता है, कृषि उपकरण रखता है व जानवरों के लिये चारा इत्यादि उगाता है। किसी अन्य का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है। उक्त वर्णित आराजीयात को नियमानुसार साबिका रिकार्ड व पट्टा बक्शीशनामा के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी को दर्ज नही किया गया। उक्त आराजीयात के सिवायचक मे दर्ज हो जाने के कारण प्रतिपक्षीगण के दिल मे बेईमानी आ गई और वह हस्ब बेजा रूप से लठ के जोर पर उक्त वर्णित आराजीयात पर जबरन मजाहेमत व मदाखलत पर उतारू है, जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है।

अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 136 रकबा 0.17 है0 व ख0न0 1503/137 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पाडली तहसील उनियारा जिला टोंक में किसी प्रकार की मजाहेमत व मदाखलत नही करे, ना तो स्वयं ही करे और ना ही अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आराजीयात ख0न 136 रकबा 0.17 है0 राजस्थान सरकार (सिवायचक) के नाम खातेदारी मे है एवं ख0न0 1503/137 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम पाडली राज0 सरकार (चरागाह) मे दर्ज है, जिस पर प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से आज तक चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात से प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अथवा मकान आदि नही है, ना ही कभी था। उक्त वर्णित आराजीयात को प्रार्थी अपने नाम खातेदारी मे लगवाने अथवा घोषित करवाने का कोई वैधानिक अधिकारी नही है। उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के मकान व बाडा बना हुआ है, जो प्रतिपक्षीगण के उपयोग व उपभोग मे चले आ रहे है। प्रतिपक्षीगण को पावन्द करवाने का अधिकार प्रार्थी को नही है। यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द कर दिया गया तो प्रतिपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वे अपने जायज हक से मेहरूम हो जावेगें। अतः प्रतिपक्षीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 136 की किस्म बारानी तृतीय है। ख0न0 1503/137 चरागाह मे दर्ज है, जिसमे प्रार्थी अपने मवेशी बांधता है। खसरा परिवर्तनशील व जमाबन्दी संलग्न की है। मै उक्त भूमि की पेनेल्टी जमा कराता चला आ रहा हूं। उक्त भूमि मे मेरा कब्जा है, जिसमे मकान बना हुआ है, डोल लगी हुई है तथा पशु बंधे हुये है। वर्तमान रिकार्ड आराजी ख0न0 1503/137 मे प्रार्थी का 0.25 है0 व प्रतिपक्षी का 0.35 है0 पर कब्जा है। मेरा मकान बना है। 1 बीघा 13 बिस्वा मे हमारा कब्जा है। प्रतिपक्षीगण का आराजी ख0न0 136 रकबा 0.17 है0 से कोई लेना देना नही है। उक्त आराजी का बेगम द्वारा हमे

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned with CamScanner

पट्टा भी दिया गया है। ख0न0 1503/137 मे से मुझे केवल मेरा हिस्सा चाहिये। पी. 14 की नकल मे भी 0.03 है0 पर मकान व 0.14 है0 पर रजका काश्त का अंकन है।

प्रतिवादीगण के वकील ने अपनी तर्क पूर्ण बहस मे कथन किया कि साबिक ख0न0 139 से नवीन ख0न0 136 व 137 बनना बता रहे है। सेटलमेन्ट के बाद एवं पूर्व भी ख0न0 1503/137 चरागाह थी। सिवायचक भूमि अतिक्रमण का इन्द्राज पी0 14 मे होता है। दोनो खसरा नम्बरों पर मेरा कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थी को पाबन्द किया जावे। वाद व प्रार्थना पत्र इन्फेक्शिस हो चुका है। प्रार्थी किसको पाबन्द करवाना चाहता है। लेण्ड होल्डर तहसीलदार है। टाईटल और पजेशन दोनो ही इनका नही है। प्राईमाफेसाई केस भी इनके पक्ष मे नही है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रकरण मे ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी की 1 वीघा जमीन कौनसी है, कही पर भी दिया गया नही है।

हमने वकील उभय पक्षों की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत 2075 वाके ग्राम पाडली मे आराजी ख0न0 1503/137 रकबा 0.25 चरागाह मे सरसों फसल काश्त व आराजी ख0न0 136 रकबा 0.17 है0 मे मकान 0.03 व रजका 0.14 रामरतन पुत्र झीता मीना की काश्त का बतौर अतिक्रमण दर्ज है। प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत 2075 वाके ग्राम पाडली मे आराजी ख0न0 1503/137 रकबा 0.35 चरागाह मे उडद फसल काश्त धनश्याम बाबू पि0 कल्याण नायक के नाम बतौर अतिक्रमण दर्ज है। प्रतिपक्षीगण के द्वारा इस आराजी मे मकान वगैरह बने हुये होने का अपने जवाब मे कथन किया है, जो रिकार्ड से स्पष्ट नही है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण दोनो की खातेदारी या गैर खातेदारी मे दर्ज नही है। वादग्रस्त आराजीयात पर दोनों का ही कब्जा अतिक्रमण का है । वादग्रस्त भूमि राजकीय होने से दोनों को ही उक्त आराजीयात मे कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वादग्रस्त आराजीयात का लेण्ड होल्डर तहसीलदार होने से उनके विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टिया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी या अप्रार्थीगण की खातेदारी या गैर खातेदारी मे दर्ज न होने से प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति संभावित नही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03..2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी

H. FESLA.7